

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(9)स्था/मंत्रा/अभि/20/633


दिनांक :- 28/9/2020

-: आदेश:-

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.04.2020 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के मैट्रिक्स लेवल -10 में पदोन्नत किया जाता है:-


क्र० स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थान स्थान	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	4	5	6	7	8
1.	श्री देवीलाल शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा	सहायक निदेशक अभियोजन उदयपुर	सामान्य	दिनांक 1.4.2020	
2.	श्री नरेश रायकवाल पुत्र श्री शंकर लाल	सहायक निदेशक अभियोजन बांसवाडा	एस0सी0 (सामान्य पद के विरुद्ध)	दिनांक 1.4.2020	
3.	श्री दिग्पाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन बांसवाडा	सामान्य	दिनांक 1.4.2020	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13 (5) साप्र/3/08 दिनांक 24.8.2020 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।


(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर